प्रेस नोट संख्या - 13

दिनांक 10.05.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना इन्हौना पुलिस द्वारा सरिया चोरी/गबन करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी/गबन हुई 12.13 मीट्रिक टन सरिया बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.05.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना इन्हौना पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 33/26 धारा 316(3), 303(2) बी0एन0एस0 थाना इन्हौना जनपद अमेठी में वांछित डीसीएम सवार 02 अभियुक्त 1.चालक धीरज सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी बेरसरी थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 25 वर्ष, 2. डीसीएम मालिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र भगौती प्रसाद निवासी खौकरपुर मजरे बेनीपुर थाना शिवरतनगंज उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा डीसीएम यूपी 36 एटी 2819 पर लदी चोरी/गबन की 12.13 मीट्रिक टन सरिया बरामद की गई।

पूछताछ में डीसीएम चालक धीरज सिंह ने बताया कि दिनांक 05.05.2026 को दीना आयरन एण्ड स्टील लि0 अब्दुल रहमानपुर रोड दिदारगंज पटना बिहार से 12.13 मीट्रिक टन सरिया इसी वाहन पर उन्नाव डिलीवरी हेतु लोड कराया गया था। वाहन मालिक सुरेन्द्र कुमार से बातचीत करने पर मालिक उक्त सरिया को उन्नाव न पहुँचाकर चोरी/गबन के इरादे से बेचने के लिये पूरे नायाब थाना महराजगजं जनपद रायबरेली लाने को बताया गया था। वाहन मालिक सुरेन्द्र कुमार से पूछताछ पर बताया हम लोग सरिया बेचने के लिये दिलीप यादव पुत्र स्व०रामचन्द्र पूरे नायाब थाना महराजगंज जनपद रायबरेली के मकान के पास उससे यह कहकर सरिया उतार रहे थे कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है हम इसको बाद मे उठा ले जायेंगे उसको यह नहीं बताया यह सरिया चोरी की है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी करते हुये थाना इन्हौना पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. धीरज सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी बेरसरी थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 25 वर्ष।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भगौती प्रसाद निवासी खौकरपुर मजरे बेनीपुर थाना शिवरतनगंज उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी-

- चोरी/ गबन की 12.13 मीट्रिक टन सरिया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 33/26 धारा 316(3), 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक सिंह थानाध्यक्ष इन्हौना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 छविनाथ यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 अनिल कुमार द्विवेदी थाना इन्हौना जनपद अमेठी
4. का0 कृष्ण कुमार चतुर्वेदी थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
5. का0 मानस पाण्डेय थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
6. का0 कुँवर तुषार थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
7. का0 सत्येन्द्र सिंह थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
8. का0 संजीव कुमार थाना इन्हौना जनपद अमेठी।